

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक :- एफ.10(7)नविवि/3/2009 पार्ट-1

जयपुर, दिनांक 30 SEP 2011

सचिव,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

संशोधन

विषय:- संशोधित भवन विनियम, 2010 के अनुसार लोअर ग्राउण्ड फ्लोर एवं
प्रथम बेसमेंट में व्यावसायिक/संस्थागत प्रयोजनार्थ अनुज्ञा दिये
जाने बाबत।

सन्दर्भ :- विभाग का सम संख्यक पत्र दिनांक 16 सितम्बर 2011

उपराक्त विधानसभा संविधित पत्र हाल दिन भवन विनियम, 2010 के
अनुसार अनुज्ञा दिये जाने बाबत जारी किये गये मार्ग-दर्शन के बिन्दु संख्या 2 को
निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

2. भवन विनियम, 2010 के विनियम 8.10 (2) (v) के अन्तर्गत भवन की
सुविधाओं को एफएआर से मुक्त किया गया है (एफएआर क्षेत्रफल का
अधिकतम 7 प्रतिशत तक)। इस सूची में अन्डर ग्राउण्ड वॉटर
टैक/ओवर हैड वॉटर टैक सम्मिलित नहीं है।

४.
(एन.एल.मीना)
शासन उप सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. मुख्य नगर नियोजक राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर नियोजन बोर्ड।
3. रक्षित पत्रावली

ग्रा/30/2011
शासन उप सचिव-तृतीय